

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना

संशोधित कार्यालय आदेश

संचिका संख्या-खा0/पुर्न0-235/2016-17

कार्यालय आदेश संख्या-खा0/237 पटना दिनांक-31.03.2018 के कंडिका-03 में अंकित निदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उसके स्थान पर 09 संस्था/समितियों को करघा के कीमत की 40% राशि भुगतान हेतु स्वीकृत राशि 7,08,000.00 (सात लाख आठ हजार) रूपये का भुगतान खादी पुर्नरुद्धार योजनान्तर्गत करघा मद में प्राप्त 24,00,000.00 (चौबिस लाख) रूपये से किया जायेगा।

02. शेष आदेश की शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

ज्ञापांक - 29/11

पटना, दिनांक - 17/04/18

प्रतिलिपि :- उपर्युक्त सभी संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
17/4/18

ज्ञापांक - 29/11

पटना, दिनांक - 17/04/18

प्रतिलिपि :- राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भेटनरी कॉलेज, शेखपुरा, पटना/महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा/मधुबनी/नालन्दा/पटना/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
17/4/18

ज्ञापांक - 29/11

पटना, दिनांक - 17/04/18

प्रतिलिपि :- उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (प्र0)/सहायक लेखा पदाधिकारी (प्र0)/सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्न0 सह अंकेक्षण)/प्रभारी सहायक खादी पुर्नरुद्धार योजना/जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, दरभंगा/मधुबनी/नालन्दा/पटना/मुजफ्फरपुर निजी एवं गार्ड संचिका को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
17/4/18

02. सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्न0 सह अंकेक्षण) को निदेश है कि करघा आवंटित किये गये संस्था/समिति के खाते में संबंधित राशि को RTGS/NEFT भुगतान करना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
17/4/18

29/11/18

29/11/18